संख्या- 29/2018/711/71-1-2018-जी-339/2012

प्रेषक,

शमीम अहमद खान,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 06 मार्च, 2018

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में ओ0पी0डी0 एवं एम0आर0डी0 के कम्प्यूटराइजेशन (साफ्टवेयर) हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में ओ0पी0डी0 एवं एम0आर0डी0 के कम्प्यूटराइजेशन (साफ्टवेयर) हेतु रू0 59,23,575/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा रू0 20.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-33/2016/442/71-1-2016-जी-339/2012, दिनॉक 08-03-2016 द्वारा प्रदान की गयी है। तदोपरान्त शासनादेश संख्या-56/2017/711/71-1-2017-जी-339/2012, दिनॉक 28-03-2017 द्वारा रू0 10.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है। इस प्रकार प्रश्नगत कार्य हेतु अब तक कुल रू0 30.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

2- इस विषय में आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2017-18/3723, दिनॉक 21-02-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में ओ0पी0डी0 एवं एम0आर0डी0 के कम्प्यूटराइजेशन (साफ्टवेयर) हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 22,00,000/- (रू0 बाइस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष् प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
3- मानक की पूर्ति एवं कार्य की गुणवत्ता का उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आजमगढ़ एवं कार्यदायी संस्था का होगा।
4- स्वीकृत किये जा रहे कार्य में क्रय आदि के संबंध में क्रय नियमों, प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है और न ही इस योजना हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिससे कि कार्य की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो।
6- स्वीकृत धनराशि पी0एल0ए0/बैंक खाते में नही रखी जायेगी।
7- कम्प्यूटरीकरण हेतु स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि के उपयोग हेतु आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग तथा यू0 पी0 डेस्को द्वारा कम्प्यूटरीकरण हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8- प्रश्नगत कार्य हेतु कोई अग्रिम धनराशि देय न होगी। आवश्यकतानुसार कार्य प्रारम्भ करने हेतु मोबलाइजेशन एडवान्स सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त दिया जा सकता है। शेष धनराशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने के उपरान्त किया जायेगा।
9- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रधानाचार्य एवं कार्यदायी संस्था के मध्य एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

10- सेन्टेज चार्जेज केवल निर्माण कार्यो पर देय होंगे तथा उपकरण पर नहीं।

11- कार्यदायी संस्था द्वारा विभागीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12- कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य पूर्ण होने पर सम्परीक्षित लेखे वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनॉक 30-03-2015 के बिन्दु-5(च) के अनुसार उपलब्ध कराये जायेंगे तथा प्रधानाचार्य का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त करे।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-52-मेडिकल कालेजों में इंटरनेट सुविधा-02-नेटवर्किंग सुविधा-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनॉक 03 अगस्त, 2017 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(शमीम अहमद खान)
विशेष सचिव।

संख्या- 29/2018/711(1)/71-1-2018 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, आजमगढ़।
6- समाज कल्याण विभाग (बजट प्रकोष्ठ)/नियोजन अनुभाग-4
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- प्रबन्धक, अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0, एस-53 से एस-58, साइट-4, शाहिबाबाद, गाजियाबाद।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।